UPBR050147812019

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बरेली।
उपस्थितः शीलवन्त, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।
मूलवाद संख्या – 323 सन् 2019
श्रीमती वर्षा राय सक्सेना–बनाम–मनोज कुमार एवं अन्य।

CNR No. UPBR05014781-2019

निर्णय जरिये सन्धि–पत्र

दिनांकः 03.04.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित आये। उभयपक्ष द्वारा दाखिल सन्धि–पत्र कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त वाद में स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का निपटारा कराये जाने की मांग व आग्रह करने पर राजीव कुमार व उनके परिवारजन हस्तक्षेप करके वादी व प्रतिवादी के बीच वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में चले आ रहे विवाद को सुलह समझौते द्वारा निपटा दिया है। पक्षकारों के बीच अब कोई विवाद बाकी नहीं है। अतः उभयपक्षों द्वारा अपने वाद को सन्धि–पत्र कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 में वर्णित शर्तो के आधार पर निस्तारित करने एवं समझौतानामा को आदेश/डिक्री का अंश बनाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा कथन किया गया है कि सन्धि–पत्र 39क/1 लगायत 39क/3 उभयपक्ष की स्वतन्त्र इच्छा, सम्मति एवं बिना किसी डर भय के खूब सोच समझकर किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि समझौतानामा कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 पर वादिनी श्रीमती वर्षा राय सक्सेना एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 2 क्रमशः मनोज कुमार व ईशान उर्फ ईशु के फोटो चस्पा किये गये हैं एवं हस्ताक्षर अंकित हैं।

वादिनी एवं प्रतिवादीगण के फोटो की पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी है। वादिनी श्रीमती वर्षा राय सक्सेना की पहचान एवं हस्ताक्षर की तस्दीक उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार सक्सेना एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 2 क्रमशः मनोज कुमार एवं ईशान उर्फ ईशु की पहचान एवं हस्ताक्षर की तसदीक उनके विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव शर्मा एडवोकेट के द्वारा की गयी है।

सन्धि–पत्र कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 के पुश्त भाग पर वादिनी, प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति एवं श्रवणगोचरता में सत्यापित व हस्ताक्षरित एवं तस्दीक किया गया है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा सन्धि–पत्र कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया। पक्षकारों एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सन्धि–पत्र कागज सं0–39क/1 लगायत 39क/3 स्वतन्त्र इच्छा एवं सहमति से दाखिल किये जाने का कथन किया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद सन्धि–पत्र 39क/1 लगायत 39क/3 के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद सन्धि–पत्र 39क/1 लगायत 39क/3 के आधार पर निस्तारित करते हुये उसे आदेश एवं डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रस्तुत सन्धि–पत्र का प्रभाव केवल वादपत्र से सम्बन्धित पक्षकार एवं याचित अनुतोष के संबंध में ही होगा। उपरोक्त सन्धि–पत्र का प्रभाव वाद के पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृतिक अथवा विधिक व्यक्ति के विरूद्ध व गांव सभा, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय पर नहीं होगा। उक्त सन्धि–पत्र 39क/1 लगायत 39क/3 पर भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधान पूर्णतः एवं बाध्यकारी रूप से प्रभावी होंगे। सन्धि–पत्र 39क/1 लगायत 39क/3 के ऐसे तथ्य एवं शर्तें जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अथवा अन्य सुसंगत विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा उन्हें असफल करने वाले हों, शून्य एवं निष्प्रभावी समझी जायेंगी।

दिनांकः 03.04.2023

(शीलवन्त)
सिविल जज (सी0डि0),
बरेली।

Digitally signed by SHEELVANT
Date: 2023.04.04 14:46:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court